कार्यालयः— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर

क्रमांक— ७ / सीजेएम / 2024 **सागर, दिनांक—10.12.2024**

आपराधिक कार्य विभाजन आदेश 2024 (संशोधन क्रमांक—8)

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा—12 व 13 के अंतर्गत दाण्डिक कार्य विभाजन)

मैं, **के.पी. सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर,** प्रशासनिक दृष्टि से ''कार्य विभाजन पत्रक आदेश 2024'' में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13(2) के अंतर्गत **आंशिक संशोधन करते** हुए उक्त आदेश में **नवीन कंडिका 17ए सृजित** करते हुए उक्त आदेश की **कंडिका—10, 11, 14, 19, 20, 21** तथा **तथा अनुलग्नक क्रं. ''एक'' के क्रमांक 13 एवं सामान्य आदेश की कंडिका—19 में संशोधन करते हुए** निम्नानुसार कार्य विभाजन आदेश प्रसारित करता हूं:—

क्रं	मजिस्ट्रेट	अधिकार क्षेत्र	कार्य विभाजन
10	**श्री रोहित शर्मा जे.एम.एफ.सी. सागर**	**आरक्षी केन्द्र, राहतगढ़ एवं वन (तहसील राहतगढ़ से संबंधित वन परिक्षेत्र)**	**1—** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस थाना **राहतगढ़** से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी / उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एक्ट, धारा 25 संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के मामले, खात्मा आवेदन एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण एवं उक्त थाने से उत्पन्न समस्त वारण्ट एवं स्थायी वारण्ट की कार्यवाहियां। **2— संबंधित थाने** से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य **एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले अल्प मात्रा के मामले।** **3— तहसील राहतगढ़ के अंतर्गत आने वाले वे ग्राम जो थाना जैसीनगर एवं नरयावली के अंतर्गत आते है, उन्हें छोड़कर।** **4—** आरक्षी केन्द्र, **राहतगढ़** से उद्भूत महिलाओं के विरूद्ध किए गए अपराधों से संबंधित समस्त मामले (उपार्पण योग्य सहित) एवं परिवाद(घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि0 2005, धारा 144 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत भरण पोषण, के प्रकरण एवं उनसे उदभूत अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)। **5—** तहसील राहतगढ़ के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्रों से उत्पन्न **भारतीय वन अधिनियम, 1927** से संबंधित प्रकरण। **6—** समय—समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक

			मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।
11	**श्री राहुल सोनी, जे.एम.एफ.सी. सागर**	——	——
14	**श्री विनय सिंह राजपूत, जे.एम.एफ.सी. सागर**	**आरक्षी केन्द्र सानौधा**	**1–** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस **थाना सानौधा** से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/उपार्पण योग्य पुलिस चालान। **2– आरक्षी केन्द्र सानौधा, मोतीनगर,** से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य **एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं आरक्षी केन्द्र मकरोनिया, गोपालगंज से संबंधित एन.डी. पी.एस.के मामलों में समस्त सैंपलिंग कार्यवाही।** **3–** पुलिस आरक्षी केन्द्र **सानौधा एवं मोतीनगर,** से उत्पन्न धारा 138 एन. आई.एक्ट के प्रकरण एवं **आरक्षी केन्द्र सानौधा** के खात्मा आवेदन एवं समस्त विविध आपराधिक प्रकरण एवं **आरक्षी केन्द्र मोतीनगर एवं सानौधा** के धारा 25 संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के मामले। **4–** आरक्षी केन्द्र **सानौधा, मोतीनगर, आबकारी, श्रम एवं खनिज** से उत्पन्न धारा–175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन एवं समस्त परिवाद प्रकरण एवं **थाना सानौधा, मोतीनगर, आबकारी मुख्यालय, श्रम एवं खनिज** सागर से उत्पन्न समस्त वारंट/स्थायी वारण्ट की कार्यवाहियां। **5–** समय–समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।
17 ए	**श्रीमती खुशबू दांगी, जे.एम.एफ.सी.,सागर**		**1–** समय–समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।
19	**सचेन्द्र कुमार भदकारिया जे.एम.एफ.सी. (न्यायालय रिक्त)**	——	——
20	**सुश्री सौम्या विजयवर्गीय जे.एम.एफ.सी. खुरई**	आरक्षी केन्द्र आरक्षी केन्द्र **मालथौन, खिमलासा एवं बांदरी**	**1–** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामले तथा ग्राम न्यायालय की सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर पुलिस **थाना मालथौन, खिमलासा एवं बांदरी (आरक्षी केन्द्र बांदरी के अंतर्गत आने वाले वे ग्राम, जो कि तहसील**

			बांदरी/मालथौन के अंतर्गत आते हैं, से उत्पन्न होने वाले प्रकरण की सुनवाई मालथौन में होगी तथा आरक्षी केन्द्र बांदरी के अंतर्गत आने वाले वे ग्राम जो कि तहसील खुरई के अंतर्गत आते है, से उत्पन्न होने वालें प्रकरणों की सुनवाई तहसील मुख्यालय खुरई में होगी) से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी /उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एक्ट, खात्मा आवेदन, धारा 25 संदाय ओर निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के मामले एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण एवं उक्त थाना से उत्पन्न सभी वारंट एवं स्थाई वारंट की कार्यवाहियां एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण। **2—** संबंधित थानों से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य **एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं आरक्षी केन्द्र खुरई (शहर एवं ग्रामीण) से संबंधित एन.डी.पी.एस. के मामलों में सैंपलिंग कार्यवाही।** **3— आरक्षी मालथौन, खिमलासा एवं बांदरी से उद्भूत महिलाओं के विरूद्ध किए गए अपराधों से संबंधित समस्त मामले** (उपार्पण योग्य सहित) एवं परिवाद (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि0 2005), धारा 144 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत भरण पोषण के प्रकरण एवं उनसे उद्भूत अन्य विविध कार्यवाहियां। **4—** मालथौन तहसील के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्रों से उत्पन्न समस्त वन एवं खनिज विभाग से संबंधित प्रकरण। **5—** आबकारी वृत्त **मालथौन, खिमलासा** से उत्पन्न प्रकरण। **6—** समय—समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।
21	**सुश्री श्रेया गक्खर जे.एम.एफ.सी. खुरई**	आरक्षी केन्द्र, **खुरई (ग्रामीण)**	**1—** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवाई योग्य मामलों तथा ग्राम न्यायालय खुरई के सुनवाई योग्य मामलों को छोड़कर **आरक्षी केन्द्र खुरई (ग्रामीण)** से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई/उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, धारा 175 (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,2023 के

			आवेदन, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एक्ट, खात्मा आवेदन एवं उक्त थाना से उत्पन्न सभी वारंट एवं स्थाई वारंट की कार्यवाहियां एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण। **2– आरक्षी केन्द्र, खुरई (ग्रामीण)** से उद्भूत महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले एवं परिवाद(घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि0 2005, धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत भरण पोषण, के प्रकरण एवं उनसे उदभूत अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)। **3–** संबंधित थाने से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य **एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं आरक्षी केन्द्र खिमलासा एवं बांदरी से संबंधित एन.डी.पी.एस.के मामलों में समस्त सैंपलिंग कार्यवाही।** **4–** समय–समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।

10/12/24

(के.पी.सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,सागर
जिला सागर म0प्र0

सामान्य आदेश

1. इस कार्य विभाजन से किसी अधिनियम, नियम अथवा अधिसूचना द्वारा दिया गया क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होगा।

2. इस आदेश के निर्वहन में किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न होने पर मार्गदर्शन हेतु **मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट** को संदर्भित किया जावे।

3. वर्तमान कार्य विभाजन आदेश का लंबित प्रकरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

4. न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उनकी अनुपस्थिति में **अनुलग्नक–एक** के अनुसार आवश्यक आपराधिक कार्य संपादित किया जावेगा, आवश्यक आपराधिक कार्य से तात्पर्य –रिमाण्ड, जमानत, उपस्थिति माफी आवेदन, वाहन सुपुर्दनामा आवेदन पत्रों का निराकरण तथा संक्षिप्त विचारण शक्तियों से सशक्त होने पर समरी प्रक्रिया के विचारणीय ऐसे प्रकरणों के चालान, जिसमें अभियुक्त दोषसिद्धि का अभिवाक् करना चाहता है। ऐसे उपस्थित साक्षियों का परीक्षण करना जो वृद्धावस्था तथा किसी बीमारी अथवा दूरस्थ स्थान से सम्मन या वारण्ट पर उपस्थित हुआ हो एवं उनका पुनः उपस्थित होना अत्यंत व्यय साध्य एवं असुविधाजनक हो और जहां से उसे आहूत करना असुविधाजनक व असंभव होगा, ऐसे प्रकरण में संबंधित मजिस्ट्रेट आवश्यक साक्ष्य लेने के उपरांत उस प्रकरण को मूल न्यायालय के समक्ष वापस करेंगे अथवा लंबे अवकाश पर जाने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय का उपरोक्त प्रकरण संबंधित मजिस्ट्रेट अपने न्यायालय मे पंजीयन कराकर स्थानांतरित करवाएगा **न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में अनुलग्नक–एक के अनुसार आवश्यक आपराधिक कार्य सम्पादित किये जाने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा अभियोग पत्र भी लिये जावेंगे, वह उनके न्यायालय में ही सी.आई.एस. में दर्ज करावे जावें तथा संबंधित न्यायालय से रिमाण्ड एवं अन्य पत्रावली तलब कर उसके अभिलेख में संलग्न किये जावें।**

5. आवश्यक कार्य देख रहे मजिस्ट्रेट यदि संक्षिप्त विचारण करने हेतु सशक्त हो तो अन्य न्यायालय के ऐसे मामलों का निराकरण कर सकेंगे, जो समरी प्रक्रिया के तहत विचारणीय हो एवं अभियुक्त अन्य जिले का निवासी हो तथा वारण्ट या गिरफ्तार करके लाया गया हो एवं दोष के अभिवाक करने का आवेदन करे, तब ऐसे प्रकरण के अभिलेख निराकरण पश्चात मूल न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वापस होगा।

6 सागर नगर सीमा क्षेत्र के अंतर्गत चलित न्यायालय सुपुर्दगी की व्यवस्था मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार की जावेगी।

7. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट (जिन्हें समरी पावर दिया गया है) अपने क्षेत्राधिकारिता में चलित न्यायालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति एवं पूर्व सूचना उपरांत आयोजित करेंगे।

8. जिला मुख्यालय पर रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को उस दिन जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों का अतिरिक्त आवश्यक कार्य संपादित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

9. आकस्मिकता की अवस्था में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड ड्यूटी में परिवर्तन किया जावेगा।

10. संबंधित मजिस्ट्रेट अपने–अपने आरक्षी केन्द्र क्षेत्र की ओर से प्रस्तुत होने वाले अंतिम प्रतिवेदन स्वीकृत किये जाने के लिए प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण करेंगे।

11. सागर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से संबंधित अपराधों के बारे में **धारा 183 भा.ना.सु.सं.** के अधीन अपराधी की संस्वीकृति या साक्षियों के कथन **अनुलग्नक–दो** में वर्णित मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किये जावेगें।

12. जिन मजिस्ट्रेटस का स्थानान्तरण हो चुका है और उनके स्थान पर किसी न्यायाधीश की पदस्थापना नहीं हुई है तथा वह न्यायालय रिक्त है तो उनसे संबंधित **समस्त वारण्ट एवं स्थायी वारण्ट व** रिक्त न्यायालय के मजिस्ट्रेट द्वारा निराकृत आपराधिक प्रकरण एवं उससे संबंधित विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां से संबंधित अन्य विविध कार्यवाहियां तथा पूर्व पीठासीन अधिकारियों द्वारा पारित निर्णय जिनके न्यायालय मुख्यालय पर वर्तमान में रिक्त है, की अपील / निगरानी माननीय अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय / आदेश का परिपालन संबंधित आरक्षी केन्द्र के प्रभार वाले मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जावेगा, परंतु जो न्यायालय वर्तमान में कार्यरत है, उनके द्वारा जारी वारंट अथवा स्थाई वारंट उसी न्यायालय के द्वारा संपूर्ण कार्यवाही संपादित की जावेगी अर्थात् यदि प्रकरण किसी अन्य न्यायालय में लंबित हो तो उस न्यायालय द्वारा ही किया जावेगा।

13. मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित आपराधिक प्रकरणों में वाहन सुपुर्दगी के मामलों में वाहन के रजिस्ट्रेशन, बीमा, ड्रायविंग लायसेंस, परमिट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति सत्यापित कर सुपुर्दगी प्रपत्र के साथ संलग्न की जावे।

14 माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य मामलों के उपार्पण कार्यवाही के दौरान उपार्पण आदेश पारित किये जाते समय अभिलेख के साथ संबंधित मामले की केस डायरी भी रिकार्ड के साथ भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे तथा मुद्देमाल भी संबंधित न्यायालय को भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे।

15. विचाराधीन बण्डल फाईल **(रिमाण्ड प्रपत्र व सुपुर्दगी प्रपत्र)** संबंधित आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले जेएमएफसी के न्यायालय में भेजे जावे।

16. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के मेमोरेण्डम कमांक 1295 / सीजे–II / 890 जबलपुर दिनांक 18.11.2013 के पालन में चालान प्रस्तुत किये जाते समय मुद्देमाल को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

17. धारा 364 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजे जाने के साथ ही जप्तशुदा सम्पत्ति भी भेजी जावे।

18. सागर मुख्यालय पर अनुलग्नक कं.01 के अनुसार मजिस्ट्रेट के न होने पर प्रभार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कार्य सम्पादित करेंगे।

19. **श्री रोहित शर्मा की 15 दिवस श्रृंखला न्यायालय राहतगढ़ में बैठक होने के फलस्वरूप** केन्द्रीय जेल सागर में निरूद्ध बंदियों की मृत्यु से संबंधित जांच **अंतर्गत धारा 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023** के तहत **माह दिसंबर–2024 में जिला मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठ पुरूष न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आशीष शर्मा न्यायिक मजि0 प्रथम श्रेणी द्वारा तथा माह जनवरी–2025 में श्री विजिताश्व पुष्कर द्वारा की जावेगी तथा उनकी अनुपस्थिति में उनका कार्यभार देख रहे मजिस्ट्रेट** द्वारा की जावेगी। यदि अवकाश के दिवसों में संबंधित **मजिस्ट्रेट** अथवा उनका कार्यभार देख रहे **मजिस्ट्रेट मुख्यालय से बाहर रहने की**

अनुमति सहित मुख्यालय से बाहर रहते हैं, तो अवकाश के दिवस में रिमांड ड्यूटी पर नियत **मजिस्ट्रेट** के द्वारा की जावेगी। तहसील मुख्यालय पर स्थित उपजेल में निरूद्ध बंदी की मृत्यु हो जाने पर मृत्यु जांच की धारा **196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023** की कार्यवाही उस तहसील मुख्यालय के वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी तथा उनकी अनुपस्थिति में उनका कार्य देख रहे मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी।

20. **रिमाण्ड ड्यूटी के दिवस प्रोटोकॉल आने पर रिमाण्ड मजिस्ट्रेट ही प्रोटोकॉल ड्यूटी करेगा।**

नोटः—1— उपरोक्त आदेश ग्राम न्यायालय के संबंध में भी लागू होगा, साथ ही किशोर न्याय बोर्ड, सागर में कोई सदस्य उपलब्ध न होने पर किशोर न्याय बोर्ड, सागर की पीठासीन अधिकारी के द्वारा **रिमाण्ड कार्य** सम्पादित किया जावेगा, इनके अवकाश/मुख्यालय से बाहर/पद रिक्त अथवा स्थानांतरण होने की दशा में **श्रीमती उर्मिला खेड़कर,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर तथा उनकी अनुपस्थिति में **श्रीमती मीनू पचौरी दुबे** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर तथा **श्रीमती मीनू पचौरी दुबे**, न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में अनुलग्नक—एक के अनुसार प्रभार रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड संबंधी कार्य निष्पादित किया जावेगा।

10/12/24

(के.पी.सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर
जिला—सागर म0प्र0

अनुलग्नक–एक

1. नीचे दी गयी सूची के कालम कमांक–1 में नामित मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में उसके न्यायालय के आवश्यक कार्य कमशः कालम कमांक–2, 3, 4 में नामित मजिस्ट्रेट करेंगे।
2. कालम कमांक–1, 2, 3, 4 में नामित चारों मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में कालम कमांक–4 में नामित मजिस्ट्रेट के न्यायालय के आवश्यक प्रभार वाले मजि0 द्वारा कमानुसार किया जावेगा।

क	कॉलम कमांक–1	कॉलम कमांक–2	कॉलम कमांक–3	कॉलम कमांक–4
1	श्री के0पी0 सिंह	श्री अंकित श्रीवास्तव	श्री रोहित शर्मा	श्री प्रीतम बंसल
2	श्री अंकित श्रीवास्तव	सुश्री पूजा अहिरवार	श्रीमती उर्मिला खेड़कर	श्री राहुल सोनी
3	श्री प्रीतम बंसल	सुश्री रीना शर्मा	श्री आशीष शर्मा	श्री विनय राजपूत
4	श्रीमती उर्मिला खेड़कर	सुश्री दीक्षा अग्रवाल	सुश्री पूजा अहिरवार	श्री अंकित श्रीवास्तव
5	श्रीमती मीनू पचौरी दुबे	सुश्री सुरभि सिंह सुमन	सुश्री शिखा चतुर्वेदी	सुश्री पूजा अहिरवार
6	श्री आशीष शर्मा	श्री अंकित श्रीवास्तव	सुश्री रीना शर्मा	श्री रोहित शर्मा
7	सुश्री पूजा अहिरवार	सुश्री दीक्षा अग्रवाल	श्री अंकित श्रीवास्तव	सुश्री सुरभि सिंह सुमन
8	सुश्री रीना शर्मा	सुश्री शिखा चतुर्वेदी	श्री आशीष शर्मा	श्रीमती उर्मिला खेडकर
9	श्री रोहित शर्मा	श्री विजिताश्व पुष्कर	श्रीमती मीनू पचौरी दुबे	श्री आशीष शर्मा
10	श्री राहुल सोनी	श्री आशीष शर्मा	श्री विनय सिंह राजपूत	सुश्री पूजा अहिरवार
11	सुश्री शिखा चतुर्वेदी	श्रीमती मीनू पचौरी दुबे	श्रीमती उर्मिला खेड़कर	श्री रोहित शर्मा
12	श्री विनय सिंह राजपूत	श्री राहुल सोनी	श्री विजिताश्व पुष्कर	सुश्री रीना शर्मा
13	**सुश्री दीक्षा अग्रवाल**	**श्रीमती उर्मिला खेड़कर**	**श्री अंकित श्रीवास्तव**	**सुश्री शिखा चतुर्वेदी**
14	श्री विजिताश्व पुष्कर	श्री आशीष शर्मा	सुश्री शिखा चतुर्वेदी	सुश्री पूजा अहिरवार
15	सुश्री सुरभि सिंह सुमन	श्री राहुल सोनी	सुश्री रीना शर्मा	श्री रोहित शर्मा
16	श्रीमती रूचिता सिंह गुर्जर	श्री सचेन्द्र भदकारिया	सुश्री सौम्या विजयवर्गीय	सुश्री श्रेया गक्खर
17	श्री सचेन्द्र भदकारिया	सुश्री श्रेया गक्खर	सुश्री सौम्या विजयवर्गीय	श्रीमती रूचिता सिंह गुर्जर
18	सुश्री सौम्या विजयवर्गीय	श्रीमती रूचिता सिंह गुर्जर	सुश्री श्रेया गक्खर	श्री सचेन्द्र भदकारिया
19	सुश्री श्रेया गक्खर	सुश्री सौम्या विजयवर्गीय	श्रीमती रूचितासिंह गुर्जर	श्री सचेन्द्र भदकारिया
20	श्रीमती मीनाक्षी शर्मा जोशी	श्री शरद जोशी	श्री मृदुल जैन	श्रीमती सलोनी जैन
21	श्री शरद जोशी	श्रीमति मीनाक्षी शर्मा जोशी	श्रीमती सलोनी जैन	श्री मृदुल जैन
22	सुश्री निकिता चौहान	श्री मनोरम तिवारी	श्री दीपू शाक्य	श्री सतीश शर्मा रहली
23	श्री मनोरम तिवारी	सुश्री निकिता चौहान	श्री दीपू शाक्य	श्री नितिन वर्मा, रहली
24	श्री दीपू शाक्य	श्री मनोरम तिवारी	सुश्री निकिता चौहान	श्री नितिन वर्मा, रहली
25	श्री सतीश शर्मा	श्री नितिन वर्मा	सुश्री सोनल सिंह जादौन	श्री अम्बर श्रीवास्तव

26	श्री नितिन वर्मा	श्री सतीश शर्मा	श्री अम्बर श्रीवास्तव, गढ़ाकोटा	सुश्री सोनल सिंह जादौन, गढ़ाकोटा
27	सुश्री सोनल सिंह जादौन	श्री अम्बर श्रीवास्तव	श्री सतीश शर्मा रहली	श्री नितिन वर्मा, रहली
28	श्री अम्बर श्रीवास्तव	सुश्री सोनल सिंह जादौन	श्री नितिन वर्मा, रहली	श्री शर्मा, रहली
29	श्री आशीष कुमार माथौरिया	सुश्री प्रिया गुप्ता	सुश्री संध्या मुदगल	सुश्री रीना शर्मा
30	सुश्री प्रिया गुप्ता	सुश्री संध्या मुदगल	श्री आशीष माथौरिया	सुश्री पूजा अहिरवार
31	सुश्री संध्या मुदगल	श्री आशीष कुमार माथोरिया	सुश्री प्रिया गुप्ता	सुश्री दीक्षा अग्रवाल
32	श्री सत्यम देवलिया	श्री मनोरम तिवारी	श्री दीपू शाक्य	सुश्री निकिता चौहान
33	श्री मृदुल जैन	श्री शरद जोशी	श्री मीनाक्षी शर्मा जोशी	तहसील खुरई में पदस्थ वरिष्ठ मजिस्ट्रेट
34	श्री मानवेन्द्र सिंह	श्रीमती प्रिया गुप्ता	श्री आशीष कुमार माथौरिया	सुश्री संध्या मुद्गल
35	श्री मृदुल जैन	श्रीमती सलोनी जैन,	श्री शरद जोशी	श्रीमती मीनाक्षी शर्मा जोशी
36	श्रीमती सलोनी जैन	श्री मृदुल जैन	श्रीमती मीनाक्षी शर्मा जोशी	श्री शरद जोशी
37	**श्रीमती खुशबू दांगी**	**सुश्री रीना शर्मा**	**सुश्री दीक्षा अग्रवाल**	**श्री विनय सिंह राजपूत**

नोटः—

1— उक्त संशोधन के अतिरिक्त शेष कार्यविभाजन आदेश/प्रभार आदेश यथावत रहेगा।

2— उक्त आदेश श्रीमती खुशबू दांगी के संबंध में उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्रभावशील होगा।

(के0पी0 सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर
जिला—सागर म0प्र0

प्रतिलिपिः—

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,सागर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ सागर/खुरई/मालथौन/राहतगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. पंजीयन कार्यालय, सागर/खुरई/मालथौन/राहतगढ़ को सूचनार्थ।
4. सिस्टम ऑफीसर, सागर को समस्त मजिस्ट्रेटों एवं संबंधित अनुभागों को सूचित करने हेतु।

10/12/24
(के0पी0 सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर
जिला—सागर म0प्र0